139

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 861—तीन/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 03—03—2015 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील पाली जिला जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 5/अ—5/2012—13.

.....

नथ्थब केवट पुत्र श्री कालिका केवट
निवासी गोरईया तहसील पाली
जिला उमरिया म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1— रावेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री धरमपाल सिंह
2— अजय कुमार जैन पुत्र श्री धरमचंद जैन
निवासीगण गोरईया तहसील पाली
जिला उमरिया म0प्र0
3— म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला
उमरिया

—— अनावेदकगण

.....

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक क0 1, 2
शासन के पैनल अभिभाषक अनावेदक कमांक—3

.....

आदेश

(आज दिनांक 25-10-2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील पाली जिला उमरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–03–2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम गौरईया में स्थित भूमि सर्वे कमांक 287/1 रकवा 4, रकवा 1.075 है0 में से रकवा 0.303 है0 रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया था, तदानुसार राजस्व अभिलेख में आवेदक का नामांतरण हो गया था। इस सर्वे कमांक में से अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा भूमि क्रय की गई है। आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि की जो चर्तुसीमा विक्रय पत्र दर्शाई गई थी और जहां कब्जा दिया गया था वह स्थल अनुसार नक्शा में तरमीम नहीं है। इस कारण आवेदक ने नक्शा तरमीम हेतु आवेदन किया था जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा पूर्व में की कई तरमीम के पुर्नविलोकन की अनुमति विधि अनुसार चाही कई थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी पाली द्वारा दिनांक 3.3.15 को निरस्त की गई है, इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4– प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 3.3.2015 में लेख किया गया है कि राजस्व प्रकरण कमांक 3/अ–5/08–09 आदेश दिनांक 8.2.09 एवं राजस्व प्रकरण कमांक 40/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 29.8.2012 एवं अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण कमांक 3/अ–5/08–09 आदेश दिनांक 8.2.09 का

आदेश पारित हुये 5 वर्ष व्यतीत होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुर्नावलोकन की अनुमति नहीं तथा आदेश में लेख किया गया है कि पक्षकार चाहे तो सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर पुनः नक्शा तरमीम की कार्यवाही कर सकते है। अनुविभागीय अधिकारी पाली के आदेश दिनांक 3.3.2015 में निकाले निष्कर्ष से मै सहमत हूँ।

4–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील पाली जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 5/अ–5/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 3.3.15 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर